

## कच्चे तेल आयात हेतु नए नियम (India-Iran)

### चर्चा में क्यों?

भारत और ईरान ने कच्चे तेल में अपना व्यापार जारी रखने के लिये नए नियम स्थापित किये हैं, भारत ने विवादित प्रमाणु कार्रवाक्रम के कारण फारस खाड़ी के देशों पर प्रतबंध लगाए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से अस्थायी छूट हासलि की है।

### प्रमुख बातें

- उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने भारत और अन्य देशों से चार नवंबर तक ईरान से तेल आयात में कटौती कर उसे समाप्त करने या प्रतबंधों का सामना करने के लिये तैयार रहने की बात कही थी।
- जहाज़ और कार्गो बीमा की कमी सज्जदी अरब और ईराक के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े आपूरतकिरता ईरान से होने वाले आयात को नुकसान पहुँचाएगी।
- इस बाधा को दूर करने के लिये भारत के नौवहन मंत्रालय ने राज्य द्वारा संचालित तेल रफिइनरों के माध्यम से द्वारा कच्चे तेल की खरीद के लिये सरकार द्वारा अनिवार्य एक महत्वपूर्ण शपिंग नियम में संशोधन किया है।
- इस नियम के अनुसार लंदन संथानि वैश्वकी बीमा समूह द्वारा वसितारति एक बराबर देयता सीमा के साथ देश में क्रूर ऑपल लाने वाले ईरान के टैकरों को कवर प्रदान करने हेतु मंत्रालय ने दो ईरानी जहाज़ अंडरराइटर्स - कशी पी एंड आई क्लब और क्यूआइटीए पी एंड आई क्लब के लिये फरवरी 2020 तक की अनुमति दी है।
- इस कदम से यह उम्मीद की जा रही है कि प्रतबंध प्रभावति देश से तेल की आपूरतजारी रखने में मदद मिलेगी।
- इस नियम के मुताबिक भारत कच्चे खरीद के लिये ईरान को रूपए में भुगतान करेगा, जिसका ईरान भारत से माल आयात करने के लिये उपयोग करेगा।
- उल्लेखनीय है कि IOCCL, MRPL, BPCL और HPCL समेत राज्य संचालित तेल रफिइनरीज़ ने ईरान के साथ सालाना टरम कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया थे, इससे पहले अमेरिका ने इसी वर्ष मई 2016 में ईरान के साथ पश्चिमी देशों द्वारा हस्ताक्षरति एक प्रमाणु समझौते से बाहर निकलने के बाद प्रतबंधों को दोबारा लागू किया जाने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद आधे से अधिक रफिइनरीज़ ने इन अनुबंधों को छोड़ दिया था।
- नए प्रतबंधों के लागू होने के बाद FOB आधार पर ईरान के साथ अनुबंधति शेष मात्रा को लागत, बीमा और माल ढुलाई CIF आयात में परविरत्ति करने की आवश्यकता है। अतः इसके लिये जहाज़ मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि लिंगत, बीमा और फ्रेट (CIF) एक लागत आधार है जिसका अर्थ है कि जहाज और बीमा की व्यवस्था विक्रेता करता है, जबकि बोर्ड पर नः शुल्क (FOB) एक व्यापार शब्द है जो इंगति करता है कि विक्रेता या खरीदार शपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त या नष्ट होने वाले सामानों के लिये उत्तरदायी है या नहीं।
- भारतीय जहाजों को कार्गो समर्थन प्रदान करने के लिये डिजिटल की गई फ्लेगशप नीति है जो FOB आधार पर सभी सरकारी स्वामतिव वाली/नयित्रति कार्गो की खरीद के लिये ज़रूरी है, जिसमें भारतीय खरीदार को शपिंग व्यवस्था को अंतमि रूप देना होगा।
- यह इस बात को भी इंगति करता है कि भारतीय रफिइनरीज़ अधिक अमेरिकी तेल खरीदने की स्थिति में होंगे, जो ज्यादातर CIF आधार पर उपलब्ध है, यह ईरान से तेल की आपूरति के नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा।